न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल (म.प्र.)

PBR/विविध/ग्वालियर/भू.रा./2017/4108

प्रकरण क्रमांक /2017 आवेदन

पप्पू सिंह पुत्र उत्तम सिंह उम्र 24 वर्ष, व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम विक्रमपुर वृत्त मुरार जिला ग्वालियर (म.प्र.) .....**आवेदक**

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ..... **अनावेदक**

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

आवेदक पप्पू सिंह की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

1– यह कि, आवेदक पप्पू सिंह द्वारा यह आवेदन पत्र मात्र राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को निर्देश दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

2– यह कि, आवेदक के द्वारा इस आवेदन पत्र के माध्यम से किसी विशिष्ट आदेश को चुनौती नही दी जा रही है मात्र अनावेदक के अधीनस्थ कर्मचारियो द्वारा बाबजूद न्यायालयीन आदेश के प्रकिया का दुरूपयोग किया जा रहा है इस कारण से राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को निर्देश दिये जाने हेतु यह आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है क्योकि पूर्व प्रकरणो में पारित आदेशो का कियान्वयन अनावेदक के अधीनस्थ कर्मचारियो द्वारा नही किया जा रहा है इस कारण से न्याय के उददेश्यों की पूर्ति के लिये (Necessary for the ends of Justice) एवं न्यायालय की प्रकिया के दुरूपयोग के निवारण के लिये (to prevent the abuse the process of court) एवं प्रकिया का दुरूपयोग न हो इस कारण से यह आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिये जाने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

3— यह कि, आवेदक के हित में प्रकरण कमांक 61/12—13/बी—121 व उन्मान पप्पू सिंह बनाम मध्यप्रदेश शासन में न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त मुरार द्वारा दिनांक 19—8—2013 को नामान्तरण का आदेश पारित किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा इस आशय का आदेश पारित किया गया जिसका मुख्य आपरेटिव भाग निम्न प्रकार है —

"मोहन सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी विकमपुर का नाम अमल करने का आदेश दिया जाता है। आवेदक वारिसान नामान्तरण का दावा पृथक से कर सकता है"

4— यह कि, आवेदक द्वारा पुनः नामान्तरण विषयक आवेदन पत्र न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त मुरार में प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण कमांक 34/14—15/बी—121 व उन्मान पप्पू सिंह बनाम मध्यप्रदेश शासन था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनाक 16—04—2015 को निम्न आशय का आदेश पारित किया गया जिसका मुख्य आपरेटिव पार्ट निम्न प्रकार है —

"अतः ग्राम विकमपुर में सर्वे कमांक 245 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा एवं सर्वे कमांक 181/2 रकवा 19 विस्वा पर पूर्व में हुए आदेश दिनांक 19—8—2013 का वर्तमान कम्पयूटर में अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है पटवारी ग्राम संशोधन तैयार कर रिकार्ड में अमल करे ।"

5— यह कि, प्रकरण कमांक 61/12—13/बी—121 में आदेश पारित किया गया कि कम्प्यूटर खसरे में वर्ष 2012—13 में आवेदक का नाम अमल किया जावे बाबजूद आदेश के कम्प्यूटर खसरा में वर्ष 2013 में नाम अमल में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा नही किया गया है और आदेश को अमल में नही लिये जाने के कारण से आवेदक द्वारा पुनः प्रकरण कमांक 34/14—15/बी—121 प्रस्तुत किया गया था और उपरोक्त प्रकरण में हुए आदेश का भी अमल आज दिनांक तक न तो पटवारी द्वारा और न ही राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया है आवेदक द्वारा कई बार चक्कर लगाने के बाद भी कम्प्यूटर खसरे में अमल नही किया गया है और आवेदक चवकर लगा—लगाकर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/विविध/ग्वालियर/भू.रा./2017/4108

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–11–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को आवेदक का नाम सर्वे कमांक 245 एवं सर्वे कमांक 181/2 पर कम्प्यूटर खसरों में अमल करने के निर्देश दिये जाने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है। संहिता की धारा 32 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राजस्व अधिकारियों को उक्त कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिये जायें । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही नहीं करते हुए, सीधे इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि उचित कार्यवाह नहीं है । अतः यह आवेदन पत्र विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	